रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092024-257466 CG-DL-E-24092024-257466

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 545]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2024/आश्विन 2, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2024/ASVINA 2, 1946

No. 545]

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2024

सा.का.िन. 587(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पिठत धारा 128 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 129 की उपधारा (3), धारा 133, धारा 134, धारा 135 की उपधारा (4), धारा 136 की उपधारा (1), धारा 137 और धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2024 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में, नियम 12 में, उपनियम (1ख) में, तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित पंरतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, यथास्थिति, प्ररूप सं. एओसी-4 या प्ररूप सं. एओसी-4 एनबीएफसी (इंड एएस), जो कि इन नियमों में विनिर्दिष्ट है या प्ररूप सं. एओसी-4 एक्सबीआरएल, जो कंपनी

6210 GI/2024 (1)

(दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2015 में विनिर्दिष्ट है, के फाइल करने के पश्चात्, 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले पृथकतः प्ररूप सीएसआर-2 फाइल किया जाएगा"।

[फा. सं. 1/19/2013-सीएल-V-भाग-IV-भाग(1)]

मनोज पाण्डेय. अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 239(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 408(अ), तारीख 31 मई, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2024

- **G.S.R. 587(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 128, sub-section (3) of section 129, section 133, section 134, sub-section (4) of section 135, sub-section (1) of section 136, section 137 and section 138 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** —(1) These rules may be called the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2024.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014, in rule 12, in sub-rule (1B), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—
  - "Provided also that for the financial year 2023-2024, Form CSR-2 shall be filed separately on or before 31st December, 2024 after filing Form No. AOC-4 or Form No. AOC-4-NBFC (Ind AS), as specified in these rules or Form No. AOC-4 XBRL as specified in the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015 as the case may be."

[F. No. 1/19/2013-CL-VPartIV-Part(1)]
MANOJ PANDEY, Addl. Secy.

**Note**: The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 239(E), dated the 31st March, 2014 and was last amended vide notification number G.S.R. 408(E), dated the 31st May, 2023.